



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 06.05.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान चोरी के मोबाइल फोन बेचते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 134/24 धारा 411/414 भादवि में वांछित तथा चोरी के मोबाइल फोन बेचते हुए शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद हुए है ।



उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 134/24 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसमें पूर्व में एक अभियुक्त सूरज पुत्र अनंद पाल निवासी पी ब्लॉक सेक्टर 23 संजय नगर थाना बापू धाम जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया जा चुका है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र राकेश निवासी शाहपुर मोरटा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 729/16 धारा 60 आब0 अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।

2. मु0अ0सं0 753/21 धारा 08/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।

3. मु0अ0सं0 221/22 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 285/22 धारा 414/411 भादवि थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 1227/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0 1280/20 धारा 398/401/414 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0 2370/18 धारा 380/411 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद ।
8. मु0अ0सं0 134/24 धारा 411/414 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक मोबाइल इनफिनिक्स कम्पनी ।
- एक मोबाइल रियल मी कम्पनी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अमित कुमार थाना खेकडा
- 2-है0का0 599 सचिन कुमार थाना खेकडा
- 3- है0का0 45 अरुण कुमार थाना खेकडा
- 4-का0 1008 मिथन कुमार थाना खेकडा



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक -06.05.24

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 99/24 धारा
147/148/149/323/308/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.05.24 को थाना छपरौली पर वादी अनंगपाल पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली ने सूचना दी की अभियुक्तगण 1.राजीव पुत्र धर्मपाल, 2.विपिन पुत्र उदयवीर, 3.हिमांशु पुत्र विपिन, 4.शिवम पुत्र विपिन, 5.एक महिला व 6.अमरपाल पुत्र राजमल निवासीगण ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी/डण्डे से लैस होकर वादी के भाई



वेदपाल के साथ मारपीट की जिससे वादी का भाई गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 99/24 धारा 147/148/149/323/308/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 99/24 धारा 147/148/149/323/308/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० रविन्द्र सैनी थाना छपरौली ।

2-है०का० 526 मनीष कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी की हुई 05 मो०सा० तथा 03 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 08.02.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मनोज कुमार पुत्र किरन सिंह निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल



स्प्लेन्डर नं० UP-17U-8477 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 94/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी की हुई 05 मोटर साईकिल तथा 03 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वह जगह-जगह से मोटरसाईकिल चोरी करते हैं तथा चोरी की हुई मोटरसाईकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर व नम्बर प्लेट हटाकर सस्ते दामों में बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आकाश पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम दुड़भा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-इरशाद पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 गढ़ी नई बस्ती करबा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-सौरभ पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अहैड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 005/2024 धारा 336/392/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 595/2019 धारा 380/381/411/506 भादवि कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 369/2021 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 249/2022 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 250/2022 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 255/2022 धारा 411/413/414/420 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 461/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 05 मोटर साईकिल-
1-मो0सा0 UP-17-U-8477 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 094/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)

2-मो0सा0 HERO HF DELUXE काला रंग जिस पर नम्बर प्लेट नहीं है

3- मो0सा0 रायल इन्फिल्ड बुलेट रंग सिल्वर जिस पर नम्बर प्लेट
नहीं है

4-मो0सा0 पैशन प्रो0 रंग काला व नीला जिस पर नम्बर प्लेट नहीं है

5- मो0सा0 नं0 हीरो होण्डा पैशन प्लस नं0 UP17A7263

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस ।
- 02 अवैध तमंचे 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

3-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत ।

4-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत ।

5-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

6-का0 981 अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।